प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 31.05.2022 (थाना अंतू)

दिनांक 29.05.2022 को थानाक्षेत्र अंतू के ग्राम बहेलियापुर में पैमाइश के दौरान दो पक्षों में लाठी–डण्डों से हुई मारपीट व मारपीट में घायल एक 65 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.05.2022 को थानाक्षेत्र अंतू के ग्राम बहेलियापुर में पैमाइश के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में एक व्यक्ति बृजलाल (उम्र लगभग 65 वर्ष) पुत्र स्व0 नन्हकू नि0 बहेलियापुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना अंतू में मु0अ0सं0– 277/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 302, 120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना अंतू पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में थाना अंतू के थानाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त जगदेव उर्फ बुधई पुत्र मथुरा वर्मा नि0 बहेलियापुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अंतू के छविराज कुंवर डिग्री कालेज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त जगदेव उर्फ बुधई द्वारा उक्त घटना कारित करने की बात स्वीकार की गयी व अभियुक्त जगदेव उर्फ बुधई के निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण– जगदेव उर्फ बुधई पुत्र मथुरा वर्मा नि0 बहेलियापुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी– घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी।

पुलिस टीम– थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह, आरक्षी शिवशंकर यादव, आरक्षी त्रिभुवन प्रसाद व आरक्षी अक्षय चौधरी थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

अवैध तमंचा–कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कुण्डा)

जनपद के थाना कुण्डा से उ0नि0 श्री शिवप्रसाद रावत मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम जमेठी के दुखी चौराहा के पास से 03 व्यक्ति, 01. संजय पटेल उर्फ तिन्नी पुत्र हीरालाल नि0 वैष्णो कालोनी कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, 02. काशी पटेल उर्फ कशिया पुत्र बब्बू नि0 मियां का पुरवा, कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ व 03. विनोद कुमार सोनकर पुत्र राम बहादुर नि0 कवड़ियागंज थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. संजय पटेल उर्फ तिन्नी पुत्र हीरालाल नि0 वैष्णो कालोनी कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
02. काशी पटेल उर्फ कशिया पुत्र बब्बू नि0 मियां का पुरवा, कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
03. विनोद कुमार सोनकर पुत्र राम बहादुर नि0 कवड़ियागंज थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी– 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0– 200/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त संजय पटेल उपरोक्त।
02. मु0अ0सं0– 201/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त काशी पटेल उपरोक्त।
03. मु0अ0सं0– 202/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त विनोद उपरोक्त।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री शिवप्रसाद रावत मय हमराह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

अवैध तमंचा–कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना पट्टी)

जनपद के थाना पट्टी से उ0नि0 श्री राहुल कुमार गौतम मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के कलियना नहर पुलिया के पास से 01 व्यक्ति आशुतोश तिवारी उर्फ सूरज पुत्र राकेश तिवारी नि0 अर्जुनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोगं पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

आशुतोश तिवारी उर्फ सूरज पुत्र राकेश तिवारी नि0 अर्जुनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी– 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री राहुल कुमार गौतम मय हमराह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

अवैध तमंचा–कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कन्धई)

जनपद के थाना कन्धई से व0उ0नि0 श्री जिलेदार पाल मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के कोनी बाजार नहर पुलिया के पास से 01 व्यक्ति शफीक उर्फ मुन्ना पुत्र नसीर अहमद नि0 धर्मापुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 224/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोगं पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

शफीक उर्फ मुन्ना पुत्र नसीर अहमद नि0 धर्मापुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी– 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पुलिस टीम– व0उ0नि0 श्री जिलेदार पाल मय हमराह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

पिस्टल से डरा–धमकाकर मारपीट करने के प्रकरण में एक अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा)

अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर, एक मोबाइल फोन व एक मोटर साइकिल बरामद

कल दिनांक 30.05.2022 को थाना जेठवारा के दण्डीपुरम सिन्धौर में एक मोटर साइकिल पर सवार 03 व्यक्तियों द्वारा एक दुकानदार से गुटका व पानी मांगा गया। दुकानदार के मना करने पर उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा दुकानदार को पिस्टल सटाकर उससे मारपीट व गाली गलौज की गयी तथा जाने से मारने की धमकी दी गयी। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गये, जिससे तीनो व्यक्ति भागने लगे व 02 व्यक्ति मौके से भाग गये जबकि एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति के पास से एक पिस्टल 32 बोर, एक मोबाइल फोन व एक मोटर साइकिल बरामद की गयी।

पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तथा इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोगं पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

करन गिरि पुत्र केशव प्रसाद गिरि नि0 एटीएल कालोनी कटरा मेदनीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी– एक पिस्टल 32 बोर, एक मोबाइल व एक मोटर साइकिल ।

अवैध तमंचा–कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना सांगीपुर)

जनपद के थाना सांगीपुर से उ0नि0 श्री राजेन्द सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के देउम चौराहा के पास से 01 व्यक्ति अरविन्द वर्मा पुत्र रामआसरे वर्मा नि0 बक्शी का पुरवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 138/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोगं पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

अरविन्द वर्मा पुत्र रामआसरे वर्मा नि0 बक्शी का पुरवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी– 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।